एम.बी.ए. परियोजना कार्य सूचना (दूर शिक्षा)

सत्र 2021-23 के एम.बी.ए. (दूर शिक्षा) (तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर) में पंजीकृत छात्रों को सूचित किया जाता है कि परियोजना कार्य को निम्नांकित निर्धारित तिथियों के अनुसार संपन्न करा कर निदेशालय में उपलब्ध कराएँ।

पर्यवेक्षक अनुमोदित करने हेतु पर्यवेक्षक आत्मवृत्त एवं आवेदन विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने की अतिम तिथि	30 अक्टूबर, 2023
पर्यवेक्षक स्वीकृति की सूचना	15 नवंबर, 2023
परियोजना कार्य हेतु **विषय रूपरेखा (Synopsis)** विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	15 दिसंबर, 2023
अनुमोदित **विषय रूपरेखा (Synopsis)** के साथ छात्रों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित करने की अंतिम तिथि	30 दिसंबर, 2023
परियोजना कार्य संबंधित छात्रों की छात्रों द्वारा 2 प्रतियों में विश्वविद्यालय में जमा करने की अंतिम	31 जनवरी, 2024

इस संबंधमें परियोजना कार्य **दिशा निर्देश (Project Guidelines)** विश्वविद्यालय कि वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अन्य सूचना :

परियोजना कार्य पूर्ण करने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण की जानी है।

i) छात्र द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर परियोजना पर्यवेक्षक का अनुमोदन प्राप्त करे।

ii) परियोजना रूपरेखा का अनुमोदन

iii) दिशा निर्देश के अनुसार परियोजना प्रतिवेदन (Project Report) प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करे।

1. पर्यवेक्षक का चयन छात्रों द्वारा किया जायेगा तथा संबंधितपर्यवेक्षक अपनी सहमती छात्रों के अनुरोध पत्र पर लिखकर एवं आत्मवृत्त (Bio-data) की कॉपी देते हुए छात्रों द्वारा निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।
2. पर्यवेक्षक अनुमोदन हेतु छात्र द्वारा प्रारूप पत्रक में संबंधितपर्यवेक्षक की शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र एवं कर्मचारी पहचान पत्र की छायाप्रति के साथ संबंधितपर्यवेक्षक द्वारा स्वीकृति तथा अनुशंसा करने पर छात्र का अनुरोध पत्र स्वीकृत किया जायेगा।
3. विद्यार्थियों द्वारा चयनित परियोजना पर्यवेक्षक का आत्मवृत, शैक्षिक अर्हता के दस्तावेज एवं पर्यवेक्षक के प्रिंटेंड हस्ताक्षर वाला कार्यालय पहचान पत्र की छायाप्रति/ या पर्यवेक्षक के मूल हस्ताक्षर कार्यालय प्रमुख द्वारा, सत्यापित कर मूल प्रति मै प्रस्तुत कराना अनिवार्य है।

4. पिछले वर्ष जिन पर्यवेक्षकों के नाम विश्वविद्यालय की वेवसाईट पर उपलब्ध कराये गये थे वे पर्यवेक्षक पिछले सत्र के लिए संबंधितछात्र के लिए ही अनुमोदित है। पिछले सत्र के उन छात्रों के पर्यवेक्षक इस सत्र के छात्रों के लिए सीधे तौर पर स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। जिन छात्रों को पिछले वर्ष के अनुमोदित पर्यवेक्षक स्वयं के लिए चयन करना है ऐसे सभी छात्रों द्वारा उन पर्यवेक्षकों का आत्मवृत्त एवं शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र तथा कर्मचारी पहचान (Employee ID) पत्र की छात्राप्रति के साथ अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने पर निदेशालय उन पर्यवेक्षकों के अनुमोदन हेतु विचार करेगा।
5. यदि किसी विद्यार्थी को पर्यवेक्षक की सहमती प्राप्त नहीं होती और उसे पर्यवेक्षक चयन में समस्या आती है, तो उसे अपने साथी/ मित्र छात्रों से संपर्क कर उनके पर्यवेक्षक की सहमती प्राप्त कर आत्मवृत्त एवं शैक्षणिक अर्हता प्रमाणपत्र तथा कर्मचारी पहचान (Employee ID) पत्र की छात्राप्रति के साथ अनुरोध पत्र प्रस्तुत करने पर निदेशालय उन पर्यवेक्षकों के अनुमोदन हेतु विचार करेगा।
6. परियोजना कार्य से संबंधितसभी दस्तावेज सीधे मुख्यालय, वर्धा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
7. परियोजना का मूल्यांकन करने हेतु मूल्यांकनकर्ता को अपेक्षित समय देना आवश्यक है। मूल्यांकन उपरांत ही परिणाम घोषित किया जाएगा।
8. विश्वविद्यालय द्वारा परियोजनाओं के लिए पर्यवेक्षक उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

लिंक:

http://www.mgahv.in/Pdf/dist/WEB_2023/MBA_2021_23_Project_Work_Guidelines_08_09_2023.pdf

पाठ्यक्रम संयोजक (एमबीए)

म. गां. अं. हिं. वि., वर्धा

नोट :- उक्त तिथियाँ अपरिवर्तनीय है। निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय में उपलब्ध न कराने की स्थिति में संबंधित परियोजनाओं को इस वर्ष के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इस संबंधमें विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। आवश्यकता के अनुसार तिथियोंको परिवर्तित करने का अधिकार दूर शिक्षा निदेशालय / विश्वविद्यालय अपने पास सुरक्षित रखता है।